न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी नित्या के0 आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0–– 30/2020

प्रविष्टि दिनांक –– 03.07.2020

उनवान

कन्हैयालाल पांचाल पुत्र रामकरण जाति लुहार निवासी डारडाहिन्द तह0 जिला टोंक राज0

– वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक !

– प्रतिवादी

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन –वकील वादी

श्री आकाश शर्मा– पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र बाबत– पत्थरगढी

अन्तर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 9/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि जिसका वर्णन जमाबन्दी स0 2071 से 2074 खाता सं0 18 ख0 न0 2430 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा तथा ख0 न0 2431 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डारडाहिन्द तह0 टोंक में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमियों का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है जिसने उक्त भूमियों का पूर्व में तहसीलदार टोंक सीमाज्ञान करवा लिया था परन्तु उपरोक्त दोनो खसरा नं0 के आस–पास वाले प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी की जमीन का बहुत सारा हिस्सा पडोसियों द्वारा दबा रखा है इस कारण आऐ दिन विवाद होते है, न्यायहित में मेरी खातेदारी की उक्त भूमियों की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को अपनी भूमियों पर काबिज रहकर काश्त तथा उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी शांति प्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति हे ओर अभी वर्तमान में भी काश्त का समय है, प्रार्थी के आस–पास वाले व्यक्ति बिना किसी कारण के प्रार्थी के हेरान एवम परेशान करते है जबकि उनका लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है, न्यायहित में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 2430 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 2431 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डारडाहिन्द तह0 व जिला टोंक पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे, प्रार्थी पत्थरगढी में हाने वाला खर्चा वहन करने को तैयार हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तलब किया गया। प्रतिपक्षी को कई अवसर प्रदान किये गये। तहसीलदार/प्रतिपक्षी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि रिकार्ड ग्राम डारडाहिन्द स्वीकार है। वादी की भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार किया जा चुका है। माननीय न्यायालय के द्वारा बाबत पत्थरगढी दावा स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ती नहीं है। वादी की भूमि की पत्थरगढी बाबत वाद स्वीकार किये जाने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 2430 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 2431 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसकी पत्थरगढी किये जाने में प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ती नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या नं0 2430 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 2431 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09/09/2020... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के.)

आई0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)